

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 05/12/25

क्रमांक रीडर/2025/ 9528

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अबुकंवर पत्नि रावतसिंह 2  
मोहनकंवर पत्नि शैतानसिंह 3  
रेंवतसिंह पुत्र रावतसिंह 4  
सहदेवसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति  
राजपुत निवासी खारा राठौडान  
तहसील रामसर जिला बाड़मेर।


1 रतनराम 2 सोनाराम पिसरान काछबाराम जाति रबारी  
3 दलसिंह 4 पृथ्वीसिंह 5 भाखरसिंह पिसरान उगमसिंह  
6 हिन्दुसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपूत सोढो की  
बस्ती बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 756/2025

दिनांक- 26/11/2025

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सोढो की बस्ती पटवार हल्का बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर के  
खेत खसरा संख्या 91 रकबा 3.2456 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए  
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि  
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा  
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(यशार्थ शेखर)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 05/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9529 - 9532

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अबुकंवर पत्नि रावतसिंह जाति राजपुत निवासी खारा राठौडान तहसील रामसर जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रतनराम पुत्र काछबाराम वगैराह जाति रबारी निवासी सोढो की बस्ती बालेरा तहसील व जिला  
बाड़मेर

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

